न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1843/2005/जयपुऱ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला जयपुर।

....अपीलार्थी

बनाम

सरदार मल पुत्र हनुमानसहाय जाति गूर्जर निवासी ग्राम हनूतिया तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

–

निर्णय

दिनांकः– 15–04–2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं0 171/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2005 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा के न्यायालय में एक दावा बाबत् उद्घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी को साबिक खसरा नं0 849/2 रकबा 81 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम मारखी तहसील शाहपुरा में से 10 बिस्वा का अलोटमेंट हुआ था, जिसका नामान्तरकरण सं0 191 द्वारा जमाबंदी सं0 2032 में अमल हो गया। वादी को

आवंटित की गई भूमि का हाल खसरा नं0 1556 पर लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त है, जिसे हाल सेटलमेंट में हाल खसरा नं0 1556/0.71 हैक्टर चरागाह में शामिल कर दिया गया है तथा वादी का नाम हटा दिया गया है जबकि वादी इस भूमि पर काबिज आबाद चला आ रहा है। हाल सेटलमेंट की कार्यवाही में वादी की खातेदारी भूमि को गलत रूप से चरागाह में दर्ज की गई है, जो काबिल दुरूस्ती है। अतः वादी को साबिक खसरा नं0 849/2 के हाल खसरा नं0 1556 में से 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त वाद को विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर दादरसी सहित 4 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–07–2001 द्वारा वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर राज्य सरकार ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2005 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं विधिक प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेख के विपरीत है। उनका तर्क था कि अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि साबिक खसरा नं0 849/2 का काफी बड़ा रकबा था व हाल

बंदोबस्त में उसके खसरा नंबर 1508,1510,1531, 1532,1556,1557,1560,1635,1637,1638 व 1639 बने थे एवं प्रत्यर्थी ने वाद पत्र में यह कथन किया कि उसे खसरा नं0 849/2 में से 10 बिस्वा भूमि का नियमन किया गया, जिसका खसरा नं0 1556 बना है किन्तु उसने इस तथ्य को किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया कि उसे नियमन की गई भूमि का यही खसरा नं0 1556 बना था, ऐसी स्थिति में उसके हक में डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस भूमि बाबत् प्रत्यर्थी का दावा डिक्री किया जो विधिक त्रुटि से ग्रस्त है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में सिवायचक भूमि दर्ज है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। उनका यह भी तर्क था कि वादी अपने नियमन को सिद्ध करने में असफल रहा, उसके पक्ष में जो नियमन किया गया वह संदेहास्पद है, क्योंकि 12 वर्ष तक उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि चरागाह अंकित है, जो प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से पूर्णतया सिद्ध है, ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम 31 व आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत है अर्थात प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन किए बिना पारित किए है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किए जावें तथा वादी का दावा खारिज किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयो ने तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही तनकीवार निर्णय प्रदान किए है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थी द्वारा वाद इस आधार पर लाया गया है कि विवादग्रस्त भूमि का नियमन उसे आदेश दिनांक 12–10–77 द्वारा किया गया था, इसी क्रम मे नामान्तरकरण सं0 191 द्वारा उसे जमाबंदी में खातेदार अंकित किया गया। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त भूमि को गलत रूप से चरागाह दर्ज किए जाने पर उसे खातेदारी अधिकार दिए जाने हेतु वाद पेश किया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नियमन के तथ्य को स्वीकार किया है तथा यह भी निष्कर्ष अंकित किया है कि जब भूमि का नियमन किया गया तब वह सिवायचक भूमि थी, जिसे कालान्तर में भू प्रबंध के दौरान चरागाह दर्ज किया गया। यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि भू प्रबंध अधिकारियों को भूमि की पूर्व प्रविष्टियों को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सही रूप से वादी का वाद डिक्री किया है। द्वितीय अपील का क्षैत्र अत्यन्त सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में उस समय तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वे अभिलेख के विपरीत न हों। वर्तमान द्वितीय अपील में हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। विभिन्न

माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षैत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः हम द्वितीय अपील को खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत समझते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2005 यथावत रखा जाता है। विवादित खसरा नंबर 1556 में 0.13 हैक्टर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार स्वतंत्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य